

प्रेस विज्ञप्तिथाना जहानागंज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम ने किया 350 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार; भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बेचने के सामान व 01 पिकअप व 02 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक- 25.4.24 को प्र०नि० कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह को सूचना सूचना मिली कि कस्बा बगीचा मे कुछ लोग अपने-अपने घरों मे प्रतिबन्धित पशु व बछड़े को काटकर भारी मात्रा मे मांस को बेच रहे है तथा उनके हाते मे कुछ जानवर बधे हुये है वही पर से एक पिकप मे प्रतिबन्धित पशु लदे हुये है जिन्हे काटने हेतु बिहार प्रान्त ले जाने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जहानागंज व स्वाट टीम की संयुक्त पुलिस बल मौके पर पहुँचकर 04 अभि० 1. दिलसेर अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी इस्लामपुर कस्बा जहानागंज जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम हाजी हन्नान का मकान अतरारी मुहल्ला खैराबाद थाना मुहम्दाबाद जनपद मऊ उम्री 52 वर्ष 2. अनवर सादाब पुत्र सफीउज्जमा निवासी सैरैया थाना मुबारकपुर उम्री 26 वर्ष 3. रशीदा बानो पत्नी इम्तियाज निवासी कस्बा बगीचा थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्री 35 वर्ष 4. फकरुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन उर्फ मन्नू निवासी पनचौक बगीचा थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्री 32 वर्ष को समय 14.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। 09 अभियुक्त फरार है।

➡मौके से 350 किलो ग्राम प्रतिबंधित मांस, इलेक्ट्रानिक तराजू 5, टांगी 5, टेकुआ (सूजा) 10, बाका 10, चाकू 10, हथौड़ी 01 पीस, रम्मा 01 पीस, पीढा 05 पीस, पटरा 01पीस, तगाड़ी 01 पीस, लकड़ी का ठीहा छोटा बडा 10 पीस, 05 पीढा, 05 नमूना माल व 2 मो०सा० जिसमे 01 मोपेड यूपी 50 BJ 5160, 1 मो०सा० हीरो स्पलेण्डर प्रो UP 50 AB 2505, 01 पिकप UP 50VT 9435 व मौके से बिक्री का बरामद 7940 रूपया बरामद किया गया।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु०अ०स० 193/24 धारा 429/34 भा०द०वि, 3/5/5ए/8 गोवध नि०अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० व 4/25 आर्म्स एक्ट व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय किया गया है।

बरामदगी-

- 1- 350 किलो ग्राम प्रतिबंधित मांस
- 2- 5 इलेक्ट्रानिक तराजू, 5 टांगी, 5 टेकुआ (सूजा) 10, बाका 10, चाकू 10, हथौड़ी 01 पीस, रम्मा 01 पीस,
- 3- पीढा 05 पीस, पटरा 01पीस, तगाड़ी 01 पीस, लकड़ी का ठीहा छोटा बडा 10 पीस, 05 पीढा,
- 4- 02 मो०सा० जिसमे (01 मोपेड यूपी, 1 मो०सा० हीरो स्पलेण्डर प्रो,) 01 पिकप UP 50VT 9435
- 5- मौके से बिक्री का बरामद 7940 रूपया,

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. दिलसेर अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी इस्लामपुर कस्बा जहानागंज जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम हाजी हन्नान का मकान अतरारी मुहल्ला खैराबाद थाना मुहम्दाबाद जनपद मऊ
2. अनवर सादाब पुत्र सफीउज्जमा निवासी सैरैया थाना मुबारकपुर
3. रशीदा बानो पत्नी इम्तियाज निवासी कस्बा बगीचा थाना जहानागंज आजमगढ़
4. फकरुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन उर्फ मन्नू निवासी पनचौक बगीचा थाना जहानागंज आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

- 1- मु०अ०स० 193/24 धारा 429/34 भा०द०वि, 3/5/5ए/8 गोवध नि०अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० व 4/25 आर्म्स एक्ट व 7 सीएलए एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास -मुकदमा उपरोक्तगिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- प्र०नि० श्री कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 2- हे०का० दिनकर कुशवाहा, नियुक्त थाना जहानागंज
- 3- उ०नि० लाल बहादुर नियुक्त थाना जहानागंज
- 4- हे०का० शिवध्यान पाण्डेय नियुक्त थाना जहानागंज
- 5- उ०नि०/UT शिवम त्यागी नियुक्त थाना जहानागंज
- 6- उ०नि० श्री रुपेश सिंह प्रभारी स्वाट टीम
- 7- हे०का० धर्मेन्द्र यादव, स्वाट टीम आजमगढ़
- 8- का० सुनील प्रजापति स्वाट टीम आजमगढ़
- 9- का० अवनीश सिंह स्वाट टीम आजमगढ़

## थाना- कन्धरापुर

आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले में 25 हजार रूपयें का इनामिया गिरफ्तार; पूर्व में 08 अभियुक्तों भेजा जा चुका है जेल।

**पूर्व की घटना-** दिनांक 17.02.2024 को तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह, प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय स्वाट टीम व हे0का0 उमेश यादव सर्विलान्स द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस (आरक्षी) परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह को नकल कराने से पूर्व ही सेहदा चक बिजली ग्राम मार्ग से 07 अभियुक्तों 1. संजय यादव पुत्र स्व0 रामराज यादव निवासी कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ, 2. रोहित गुप्ता पुत्र भरतलाल गुप्ता निवासी वार्ड नम्बर- 2 अम्बेडकर नगर कसवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ, 3. हरिवंश यादव पुत्र सुखई यादव निवासी दिवाकरपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, 4. भीम यादव पुत्र स्व0 मोती यादव निवासी खनियरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ, 5. कैलाश यादव पुत्र श्यामजीत यादव निवासी ग्राम जैतीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ, 6. राजेश तिवारी पुत्र स्व0 सभाकर तिवारी निवासी ग्राम जियासड़ थाना मेहनगर जनपद आजमगढ, 7. पवन कुमार सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम भगेही थाना रामपुर जिला जौनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 7360/- रूपया, 14 लाख रूपये के 02 चेक बरामद हुआ। तथा शेष 02 अभियुक्त 1. अशोक जैसवार पुत्र हरिनाथ जायसवार निवासी ग्राम विद्रावन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर, 2. विजय कन्नौजिया पुत्र छोटे लाल कन्नौजिया निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ मौके से फरार हो गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 46/2024 धारा 120B/ 419/ 420/ 467/ 468/ 471/ 34 भादवि0 पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया था।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त पिन्टू सेठ पुत्र प्रेमचन्द सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर को दिनांक 18.04.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

➡ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फरार अभियुक्त विजय बहादुर कन्नौजिया पुत्र छोटे लाल कन्नौजिया निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह आजमगढ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ द्वारा पूर्व में 25 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया था।

**गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 22.04.2024 को उ0नि0 अमित कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में फरार चल रहे अभियुक्त विजय कन्नौजिया पुत्र छोटे लाल कन्नौजिया निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ को एफसीआई चेन्नई से गिरफ्तार कर थाना F-4 THOUSAND LIGHTS POLICE STATION CHENNAI के माध्यम से माननीय न्यायालय चीफ मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट एगमोरे एट चेन्नई से ट्रान्जिट वारण्ट प्राप्त कर आज दिनांक 26.04.2024 को मा0 न्यायालय आजमगढ प्रस्तुत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** विजय बहादुर कन्नौजिया पुत्र छोटे लाल कन्नौजिया निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह आजमगढ।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 46/2024 धारा 120B/419/420/467/468/471/34 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ।

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 120B/419/420/467/468/471/34 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ।

2. मु0अ0सं0 54/2024 धारा 504/506 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -1-** उ0नि0 अमित कुमार पाल मय हमराह थाना कन्धरापुर आजमगढ।

2. हे0का0 उमेश कुमार यादव सर्विलान्स सेल तथा हे0का0 सतेन्द्र यादव हे0का0 पवन यादव स्वाट टीम आजमगढ।

## थाना देवगांव

### अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 26.04.2024 को उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध असलहा के साथ जिरीकपुर मोड़ पर खड़ा है। इस सूचना पर उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त दीपक तिवारी पुत्र त्रिवेणी तिवारी निवासी ग्राम हैबतपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ उम्र करीब 34 वर्ष को 01 तमन्चा 303 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस 303 बोर के साथ समय करीब 09:25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/2024 धारा 7/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 151/2024 धारा 7/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** दीपक तिवारी पुत्र त्रिवेणी तिवारी निवासी ग्राम हैबतपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ।

**बरामदगी-** 01 तमन्चा 303 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 303 बोर

**आपराधिक इतिहास-** 1. मु0अ0सं0 16/2016 धारा 392,411 भादवि थाना गंभीरपुर आजमगढ

2. मु0अ0सं0 27/2016 धारा 41,411,413 भादवि थाना गंभीरपुर आजमगढ

3. मु0अ0सं0 38/2016 धारा 379 भादवि थाना देवगांव आजमगढ

4. मु0अ0सं0 42/2016 धारा 379,411 भादवि थाना देवगांव आजमगढ

5. मु0अ0सं0 61/2016 धारा 392,411 भादवि थाना देवगांव आजमगढ

6. मु0अ0सं0 120/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना देवगांव आजमगढ

7. मु0अ0सं0 439/2021 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना देवगांव आजमगढ

8. मु0अ0सं0 151/2024 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 सुल्तान सिंह (चौकी प्रभारी पल्हना), मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ।